

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 21/16ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 08.07.2015

1. बृजबिहारीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा, आयु 45  
साल निवासी ग्राम बारा (बाराहेड) थाना एण्डोरी परगना  
गोहद जिला भिण्ड

---वादी

**बनाम**

1. अतरसिंह पुत्र सरदारसिंह कौरव आयु 50 साल
2. मंगल पुत्र कोकसिंह आयु 22 साल निवासी गण ग्राम  
बारा(बाराहेड) थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड
3. म0प्र0राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड

---प्रतिवादीगण

**निर्णय**

( आज दिनांक..... को घोषित )

1. यह वाद भूमि सर्वे क्रमांक 1210 रकबा 0.110, 238 रकबा 0.280 स्थित मौजा बारा (बाराहेड) हल्का एण्डोरी तहसील गोहदी परगना गोहद जिला भिण्ड (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा) पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने और अतिक्रमण न करने तथा हस्तांतरित न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वाद पत्र के अभिवचन संक्षेप में यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि वादी के पूर्वजों की संपत्ति है जिसमें वादी के भाई किशोरीलाल एवं वादी का संयुक्त रूप से स्वामित्व एवं आधिपत्य था अब वादी एवं उसके संयुक्त खातेदार उसका भाई किशोरीलाल की कृषि भूमि आपस में बंटवारा कर अलग-अलग रूप से करके अपने-अपने हिस्से में कृषि कार्य कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि से लगी हुई भूमि प्रतिवादीगण क 1 व 2 की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य करते हैं।

लेकिन प्रतिवादीगण क 1 व 2 के द्वारा वादी की वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से वादी के द्वारा तहसीलदार के यहां पर अपनी भूमि पर सीमांकन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से तहसीलदार द्वारा पटवारी को निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि पर जाकर वादी की भूमि का सीमांकन किया जाये जिस पर से आर.आई. एवं पटवारी वादी की भूमि पर गये और मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण को उपस्थित किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर विवादित स्थल का सीमांकन किया गया तथा सीमांकन के पश्चात वादी की भूमि को सुरक्षित करते हुए लोहे की मुड़िडियां गाड़ी गयी तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया कि वादी की भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण न करे। तहसीलदार ने प्रतिवादीगण क 1 व 2 को सूचना पत्र जारी किया था लेकिन सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और तहसीलदार के द्वारा सीमांकन कार्यवाही होने के पश्चात शेष कार्यवाही न होने से दिनांक 12.02.15 को आदेश प्र.पी.1 पारित किया गया। उपरोक्त प्रकरण में आर.आई. एवं पटवारी द्वारा मौके पर नक्शामौका प्र0पी-3 तैयार किया गया था और नक्शामौके के आधार पर सीमांकन किया गया था तथा मौके पर ही पंचनामा प्र0पी-4 बनाया गया था और उसी आधार पर वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा स्थापित किया गया था।

3. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि दिनांक 30.05.15 को प्रतिवादीगण क 1 व 2 द्वारा पुनः वादी की वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गयी, तथा कुछ भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उपरोक्त भूमि से ट्रैक्टर निकालकर रास्ता बनाने की कोशिश की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की कोशिश किये जाने से वादी के द्वारा इसका विरोध करने पर प्रतिवादीगण वादी के साथ झगड़ा फसाद करने लगे। प्रतिवादीगण ने मौके पर गड़ी हुयी मुड़िडियों को उखाड़ना शुरू कर दिया तथा वादी की वादग्रस्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गयी। जिसकी शिकायत वादी के द्वारा संबंधित थाना एण्डोरी में दिनांक 31.05.15 को की गयी लेकिन पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा एक आवेदन प्राप्त किया गया लेकिन एफ.आई.आर. प्रतिवादीगण के खिलाफ दर्ज नहीं की गयी। वादी के द्वारा दिनांक 03.06.15 को एक आवेदन अंतर्गत धारा 250 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसीलदार गोहद को प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है लेकिन उसमें अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और प्रतिवादीगण के द्वारा मौके पर वादी की भूमि पर कब्जा कर उसे बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। अतः इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिपत्य में प्रतिवादीगण क 1 व 2 अतिक्रमण न करें और न किसी अन्य से कराये तथा वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करें और न ही वादी के वादग्रस्त भूमि के उपयोग में बाधा उत्पन्न करें और न ही वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित न करें।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादोत्तर में वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि का वादी एकांकी भूमिस्वामी नहीं है उक्त सर्वे नंबर में कृष्णा वेवा रामजीलाल और सतीश पुत्र रामजीलाल 1/2 भाग के भूमि स्वामी हैं। इसलिए संपूर्ण सर्वे क्रमांक पर वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी ने अन्य सह कृषकों को वादी के रूप में संयोजित नहीं किया है इसलिए वाद में असंयोजन का दोष है। वादी ने सीमा चिन्ह मिटाने और अतिक्रमण करने के संबंध में व्यवहारवाद और तहसील न्यायालय में धारा 250

म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन कार्यवाही चाही है इसलिए एक ही आधार पर दो न्यायालयों में सहायता नहीं दी जा सकती है और धारा 257 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अधीन सिविल कार्यवाही पर प्रतिबंध है। वादग्रस्त सर्वे नंबर से प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 सर्वे क्रमांक 244 रकवा 0.82 है0 का भूमि स्वामी है जिस पर उसकी खेती हो रही है। वादी का विवादित भूमि पर कोई विवाद नहीं है। वादी द्वारा किए गए सीमांकन की उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही टैक्टर के लिए रास्ता बनाया है। और ना ही सीमा चिन्ह हटाये गये हैं। अतः वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एकपक्षीय रहे हैं जिनके द्वारा वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जायेगा।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 1210 रकवा 0.110 है0, 238 रकवा 0.280 है0 स्थित ग्राम बराहेड हल्का एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड पर वादी का स्थापित आधिपत्य है ?
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं ?
3. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 अवैध रूप से हस्तांतरित करने के लिए प्रयासरत हैं ?
4. क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है यदि हां तो प्रभाव ?
5. क्या धारा 257 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन इस वाद का विचारण वर्जित है ?
6. सहायता एवं व्यय ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 पर संकारण निष्कर्ष //

7. बृजबिहारी वा0सा01 ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1210 व 238 उसके भूस्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। वादग्रस्त भूमि उसके पूर्वजों की संपत्ति है जिसमें किशोरीलाल और उसका संयुक्त स्वत्व व अधिपत्य था अब बंटवारा कर अलग-अलग रूप से अपने हिस्से में कृषि कार्य कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि से लगी हुई प्रतिवादीगण की भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य करते हैं। उक्त कथन का समर्थन मोनू उर्फ राधेश्याम वा0सा02 और राजेन्द्र उर्फ कल्याण वा0सा03 ने भी मुख्यपरीक्षण में किया है। पक्ष समर्थन में वादी ने वादग्रस्त भूमि का खसरा प्र0पी-5 व प्र0पी-7 वर्ष 2015-16 और उक्त अवधि का वादग्रस्त भूमि की खतौनी प्र0पी-6 व प्र0पी-8 प्रस्तुत की है। जिसमें सर्वे क्रमांक 238 में 1/2 भाग का वादी और सर्वे क्रमांक 1210 का संपूर्ण रकवे पर वादी भूस्वामी उल्लिखित है। वादी ने भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी-9 व 10 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा प्र0पी-5 व प्र0पी-7 के अनुसार ही वादी

- बृजबिहारी वा0सा01 का वादग्रस्त भूमि पर भूस्वत्व उल्लिखित है।
8. बृजबिहारी वा0सा01 ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किए जाने से उसने सीमांकन कराने के लिए तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी को निर्देशित किया गया कि भूमि का सीमांकन किया जाये। जिस पर आर.आई. व पटवारी वादी की भूमि पर गये और वादी व प्रतिवादी उपस्थित थे तब मौके पर सीमांकन किया और लोहे की मुड़िडयां गाड़ी मौके पर नक्शा तैयार किया गया और पंचनामा बनाया गया। उक्त कथन का समर्थन मोनू उर्फ राधेश्याम वा0सा02 और राजेन्द्र उर्फ कल्याण वा0सा03 ने भी मुख्यपरीक्षण में किया है कि वादी ने अपनी भूमि का सीमांकन कराया है। पक्षसमर्थन में वादी ने सीमांकन प्रतिवेदन प्र0पी-2, फील्ड बुक प्र0पी-3, पंचनामा प्र0पी-4, और न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के प्र0क0 67/13-14/अ12 बृजबिहारी वा0सा01 बनाम म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 12.02.15 प्र0पी-1 की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की हैं। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया गया है और सर्वे क्रमांक 238 पर प्र0पी-2 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 का और सर्वे क्रमांक 1210 पर प्रतिवादी क्रमांक 2 मंगलसिंह का कब्जा होना वर्णित किया गया है। और यही उल्लेख पंचनामा प्र0पी-4 पर भी है।
  9. बृजबिहारी वा0सा01 ने कथन किया है कि सीमांकन में प्रतिवादी को निर्देश दिया गया था कि वादी की भूमि पर कोई हस्तक्षेप न करे। दिनांक 30.05.15 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गयी और टैक्टर निकालकर रास्ता बनाने की कोशिश की गयी जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मोनू उर्फ राधेश्याम वा0सा02 तथा राजेन्द्र उर्फ कल्याण वा0सा03 ने भी बृजबिहारी वा0सा01 के कथन का समर्थन किया है कि प्रतिवादी वादी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है।
  10. प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में स्वयं की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और वादी साक्षीगण के मुख्यपरीक्षण में दिए कथन को भी प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी है। अतः वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डित रही है।
  11. अधिकार अभिलेख प्र0पी-5 लगायत 8 से वादग्रस्त भूमि वादी के अधिपत्य की होना स्पष्ट हुई है जिससे प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। उक्त अनुसार ही प्रविष्टि पुस्तिका प्र0पी-9 व 10 है सीमांकन दस्तावेज प्र0पी-1 लगायत प्र0पी-4 से भी वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि उचित रूप से चिन्हित किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्थापित अधिपत्य है।
  12. बृजबिहारी वा0सा01 द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 30.05.15 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जिसका समर्थन राधेश्याम वा0सा02 और राजेन्द्र वा0सा03 ने भी अखण्डित साक्ष्य से किया है। अतः यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादी के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया।
  13. वादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं अतः यह साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने के लिए प्रयासरत हैं।



14. अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विनिश्चय साबित व वादप्रश्न क्रमांक 3 का विनिश्चय साबित नहीं के रूप में दिया जाता है।

//वाद प्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष//

15. वर्तमान वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है अतः स्थायी निषेधाज्ञा हेतु जिस व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 238 के अन्य सह स्वामी भी खसरा प्र0पी-5 व खतौनी प्र0पी-6 में उल्लिखित है परन्तु उनके विरुद्ध वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना नहीं की है और ना ही यह अभिवचन किया है कि उनके अधिपत्य में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। विवादित भूमि प्रथक स्वत्व की होने के संबंध में बृजबिहारी वा0सा01 ने अखण्डित मौखिक साक्ष्य दी है कि उसका बंटवारा हो गया है। अतः वर्तमान वाद में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु अन्य सह स्वामी आवश्यक पक्षकार होना प्रमाणित नहीं होते हैं।

16. अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वाद प्रश्न क्रमांक 05 पर सकारण निष्कर्ष//

17. वर्तमान वाद इस आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप किया है उक्त तथ्य उपरोक्त वादप्रश्न में प्रमाणित भी हुआ है। अतः धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन स्थायी व्यादेश प्रदान किया जाना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जिससे यह दावा धारा 257 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन वर्जित होना सिद्ध नहीं होता है।

18. अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वाद प्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष//

19. अतः उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है। परन्तु वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने हेतु प्रयासरत हैं। अतः वाद स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वादी के पक्ष में और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1210 रकवा 0.110, एवं सर्वे क्रमांक 238 रकवा 0.280 स्थित मौजा बारा (बाराहेड) हल्का एण्डोरी तहसील गोहदी परगना गोहद जिला भिण्ड पर अतिक्रमण न करें तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करें और न ही वादी के वादग्रस्त भूमि के उपयोग में बाधा उत्पन्न करें।

2. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वयं के साथ वादी का आनुपातिक वाद व्यय वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया

सही/-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)